I 3473/13 60

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 79584

जनपद, शाहजहाँपुर

विक्रयपत्र औद्योगिक प्रयोजनार्थ

1–सरकारी कीमत– 4785000/–रू0

2–खरीदारी कीमत– 2871000/– रू0

3–जनरल स्टाम्प कुल– 239500/–रू0, पन्ने–15

3–सम्पत्ति का विवरण– खसरा नं0–376, क्षेत्रफल–2.910 हे0 में से विक्रीत क्षेत्रफल 3.19 एकड़ कुल हिस्सा विक्रेता।

4–भूमि स्थित ग्राम– कुइयाँ महोलिया, परगना व तहसील–पुवायाँ, जनपद–शाहजहाँपुर

268

क्रम सं० 23 दिनांक 22-3-13

मूल्य 25000/- पच्चीस हजार

बजाज एनर्जी प्रा० लि० मकसूदापुर

निवासी .... तहसील पुवायाँ शाहजहाँपुर

पदेन स्टाम्प विक्रेता
उप कोषागार पुवायाँ

बै० 4785000
2871000

... नि० शु० 10000/- ... 20 ... 10020 ... क्रम सं० 806

श्री बिजयसिंह चौहान पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान

निवासी कुम्हारन टोला पुवायाँ रोड कस्बा गोला खीरी

तहसील ... जिला ... आज दिनांक 23-3-13

को समय ... 4.5 ... बजे ... कार्यालय

उप निबन्धक पुवायाँ में पेश किया।

उप निबन्धक 23-3-13
पुवायाँ-शाहजहाँपुर

बिजयसिंह चौहान

... निष्पादन सुन व समझकर

व रुपया 2871000 ... /नकद पाकर

श्री बिजयसिंह चौहान ... प्र० प०

व श्री अतीक अहमद पुत्र श्री सईद अहमद

निवासी डिप्टी मैनेजर (एच. आर.) एडमिन) बजाज एनर्जी प्रा० लि० मकसूदापुर

... ने स्वीकार किया। ... शाहजहाँपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 795842

(2)

5–भूमि की निर्धारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर–1200000/–रू0 प्रति एकड़ व जनपदीय मार्ग से 200मी0 दूरी पर स्थित होने के कारण 25 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त –1500000/–रू0 प्रति एकड़ (मूल्यांकन सूची के पृष्ठ–32 पर अंकित प्रकीर्ण उपबन्ध संख्या–7 के अनुसार)

6–सडक की स्थिति– बण्डा–बिलसण्डा जनपदीय मार्ग से 200मी0 की दूरी पर

7–सम्पत्ति का प्रकार– औद्योगिक प्रयोजन।

8–बोरिंग/पेड़/कुआँ/निर्माण आदि नही है।

क्रम सं० 268/23 दिनांक 22-3-13
मूल्य 25000/- पच्चीस हजार
नाम बजाज एनर्जी प्रा० लि० मकसूदापुर
निवासी

पदेन स्टाम्प विक्रेता
उप कोषागार पुवायाँ

इनको पहचान श्री विष्णु त्रिपाठी
पुत्र श्री एस० के० आर० त्रिपाठी नि० बजाज एनर्जी प्रा० लि० मकसूदापुर
व श्री सै० अमाज वजाहत किरमानी पुत्र स्व० वजाहत हुसैन किरमानी
नि० बजाज हिन्दुस्थान लि० मकसूदापुर ने की।

उप-निबन्धक 23/3/13
पुवायाँ - शाहजहाँपुर

ह०
नि० लि०
पुवायाँ, शाहजहाँपुर

आज्ञा बजाय दाखिल होते हैं।
निशान नियमानुसार लिये गये हैं।

उप-निबन्धक
पुवायाँ - शाहजहाँपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 795843

(3)

9–विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति/आदिवासी जाति का नही है।

10–विक्रीत गाटा संख्या–376 की चौहद्दी

पूरब–	कृषि भूमि वलविन्दर सिंह।	पश्चिम–	नदी।
उत्तर–	कृषि भूमि सुन्दर लाल।	दक्षिण–	कृषि भूमि एतवार सिंह बाद में सड़क

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 795844

(4)

प्रथम पक्ष/विक्रेता का विवरण–
नाम–विजय सिंह चौहान
पिता का नाम–श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान
स्थायी पता–कुम्हारन टोला, खुटार रोड
कस्वा गोलागोकर्णनाथ,
जिला–लखीमपुर–खीरी

द्वितीय पक्ष क्रेता का विवरण–
बजाज एनर्जी प्रा0लि0, मकसूदापुर (शाहजहॉपुर)
रजिस्टर्ड एवं कार्पोरेट आफिस,
बजाज भवन–बी–10, सेक्टर–3,
जमनालाल बजाज मार्ग, नोएडा–201301
उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि
श्री अतीक अहमद पुत्र श्री सईद अहमद
डिप्टी मैनेजर (एच.आर./एडमिन), बजाज एनर्जी
प्रा0लि0 मकसूदापुर (शाहजहॉपुर)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 795845

(5)

हम कि विजय सिंह चौहान पुत्र वीरेन्द्र सिंह चौहान निवासी मोहल्ला कुम्हारन टोला, खुटार रोड, कस्वा गोला गोकर्णनाथ, जिला लखीमपुर खीरी (प्रथम पक्ष–विक्रेता) व बजाज एनर्जी प्रा0लि0, मकसूदापुर (शाहजहाँपुर) रजिस्टर्ड एवं कार्पोरेट आफिस–बजाज भवन, बी–10 सेक्टर–3 जमनालाल बजाज मार्ग, नोएडा–201301 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अतीक अहमद पुत्र श्री सईद अहमद, डिप्टी मैनेजर (एच.आर./एडमिन), बजाज एनर्जी प्रा0लि0, मकसूदापुर (शाहजहाँपुर) (द्वितीय पक्ष–क्रेता) है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 795846

(6)

प्रथम पक्ष की कृषि भूमि स्थित ग्राम--कुइया महोलिया, परगना व तहसील पुवायॉं जिला शाहजहॉंपुर में है, जिसका प्रथम पक्ष मालिक व काविज हैं। प्रथम पक्ष को अपनी उपरोक्त कृषि भूमि को विक्रय करने अथवा बंधक करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 795847

(7)

प्रथम पक्ष की उपरोक्त कृषि भूमि क्रय की हुई है, जिसकी रजिस्ट्री प्रथम पक्ष के नाम उपनिबन्धक कार्यालय पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर में पुस्तक सं0–1, खण्ड–5608 के पृष्ठ–261/282, दस्तावेज नं0–3311 दिनांक 20.03.2013 को हुई है। भूमि निर्विवाद है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 795848

(8)

प्रथम पक्ष ने अपने स्वस्थ मन व चित्त से वगैर किसी जोर दबाव या भय के निजी आवश्यकता अनुसार अपनी भूमि को कुल 2871000/–रू0 (अट्ठाइस लाख इकहत्तर हजार रू0) में द्वितीय पक्ष बजाज एनर्जी प्रा0लि0, मकसूदापुर (शाहजहाँपुर) रजिस्टर्ड एवं कार्पोरेट आफिस–बजाज भवन, बी–10 सेक्टर–3 जमनालाल बजाज मार्ग, नोएडा–201301 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अतीक अहमद पुत्र श्री सईद अहमद, डिप्टी मैनेजर (एच.आर./एडमिन), बजाज एनर्जी प्रा0लि0, मकसूदापुर (शाहजहाँपुर) को विक्रय कर दिया है तथा प्रथम पक्ष–विक्रेता ने अपना समस्त विक्रय धन क्रेता से निम्न विवरण के अनुसार प्राप्त कर लिया है।

60

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रूपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 318991

(9)

अब प्रथम पक्ष का विक्रीत भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष ने स्वयं कब्जा द्वितीयपक्ष–क्रेता को आज तारीख बैनामा से दे दिया है। द्वितीय पक्ष–क्रेता विक्रीत भूमि के पूर्ण रूप से मालिक व काविज हो गये हैं। अगर कोई दावेदार भविष्य में विक्रीत भूमि की बावत कोई दावा दायर करे तो वह पूर्ण रूप से अवैधानिक होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 149391

(10)

यदि प्रथम पक्ष–विक्रेता के स्वत्व दोष के कारण विक्रीत भूमि का कुछ अथवा कुल हिस्सा निकल जावे या द्वितीय पक्ष–क्रेता को कोई धन अदा करना पडे, तो द्वितीय पक्ष–क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह समस्त विक्रय धन मय हर्जा खर्चा सहित प्रथम पक्ष की सम्पत्ति से बसूल कर ले, इसमें प्रथम पक्ष व मेरे उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति नही होगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 700570

(11)

प्रथम पक्ष–विक्रेता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी जाति के नही है। विक्रीत भूमि में कोई पेड़, कुंआ, बोरिंग, नीव, निर्माण, भवन, फसल आदि नही है। विक्रीत भूमि द्वितीय पक्ष–क्रेता द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 700571

(12)

विक्रीत भूमि हर प्रकार से पाक व साफ है। बंधक नही है। यदि विक्रीत भूमि पर किसी भी बैंक अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्थान का ऋण/भार निकलता है तो उक्त ऋण/भार को अदा करने की समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष–विक्रेता की होगी। विक्रीत भूमि का पूर्व में कोई अनुबन्धपत्र नही है। द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा भूमि क्रय करने की अनुमति उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–154(2) के अन्तर्गत अनुमति सं0–926–28/ आठ–5(2012–13) दिनांक–02.02.2013 को श्रीमान आयुक्त महोदय, बरेली मण्डल, बरेली से प्राप्त की गयी है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 700473

(13)

सम्पूर्ण विक्रय धन प्रथम पक्ष विक्रेता को चेक सं0–148428 भारतीय स्टेट बैंक शाखा–बिलसण्डा दिनांक–18.03.2013 मूल्य –2871000/–रू0 (अट्ठाइस लाख इकहत्तर हजार रूपये) के माध्यम से पूर्व तहरीर द्वितीय पक्ष क्रेंता द्वारा अदा किया गया है जो प्रथम पक्ष विक्रेता ने प्राप्त कर लिया है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 700474

(14)

अतः यह विक्रयपत्र प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता के हक में खूब सोच समझकर अपने स्वस्थ्य मन व चित्त से समक्ष गवाहान लिखवा दिया कि प्रमाण रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 065745

(15)

विवरण विक्रीत भूमि स्थित ग्राम कुइया महोलिया, पर0तह0 पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर--

खसरा नंबर	क्षेत्रफल	लगान
376	2.910 हे0	60ख के अनुसार

में से 3.19 एकड कुल हक व हिस्सा प्रथम पक्ष विक्रेता।

गवाह--

1-- विष्णु त्रिपाठी पुत्र श्री एस. के. आर त्रिपाठी द्वारा बजाज एनर्जी प्रा. लि., मकसूदापुर

2-- सै० अयाज वजाहत किरमानी पुत्र (स्व०) सै० वजाहत हुसैन किरमानी बजाज हिन्दुस्थान लि० मकसूदापुर (शाहजहाँपुर)

23/3/13

ड्राफ्टकर्ता व फोटोप्रमाणितकर्ता--सुरेन्द्र सिंह चौहान, एडवोकेट, रजि0नं0--1031/1995

दिनांक 23/3/13

नजरी नक्शा 200मी० की त्रिज्या में
ग्राम कुइयां महोलिया पा० पुवायां

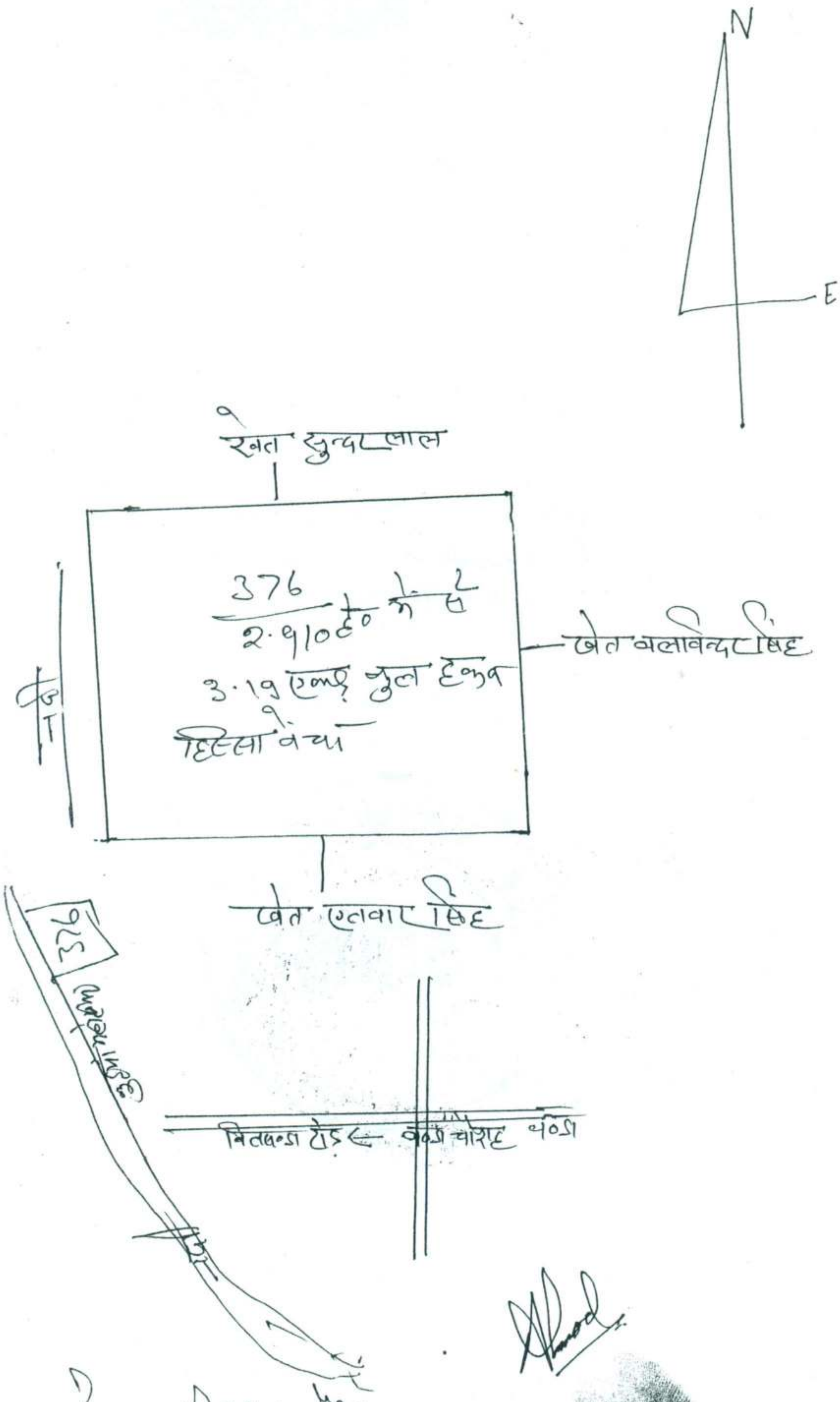

पुस्तक संख्या ......I...... खण्ड 5613

के पृष्ठ 183/215 पर क्रम संख्या 3473

पर दिनाँक 23/3/13 को फोटो स्टेट

प्रति रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप--निबन्धक

पुवायाँ, शाहजहाँपुर